

Most Urgent

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II and Hissar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon-I&II, Hissar and Rohtak.
4. Dy. Director(IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hissar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Sonapat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonapat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad and Gurgaon-II
8. AD(IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hissar.
9. Accounts branch for uploading on department site.

क्रमांक:- 13376-428
दिनांक:- 14-7-2020


विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-60 उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप से पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी चतुर्थ के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या तथा सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह) के हिसाब से जो कर्मचारी 20.01.2020 से पहले सेवा में है उनकी समेकित सूचना (01.01.2020 से 30.06.2020 तक) मासिक तौर पर संलग्न प्रफोर्मा में तथा उपरोक्त दिये गये हेड में Contingency Bill के द्वारा राशि Book Transfer के माध्यम से उक्त हेड, एवं सरकारी खजाने में जमा करवाकर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार मुख्यालय सूचना में शीघ्र अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। विभाग की ई-मेल acclabour16@gmail.com पर तुरंत भिजवाने का कष्ट करें। अगर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई तो लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न:-1. (उपरोक्त प्रफोर्मा)

2. Sample contingency bill has been sent on Department site.


लेखा अधिकारी
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Regarding Book Adjustment under Major Head 2235- Small Security and Welfare, Minor Head 200 of New Group Insurance Scheme is not being done by the Departments

1 message

New Group Insurance Scheme <ngiscs2013@gmail.com>

Tue, Jul 7, 2020 at 1:32 PM

To: itagharyana@gmail.com, agriharyana2009@gmail.com, pashudhanhar@rediffmail.com, dg.ahd@hry.nic.in, archaeology@hry.nic.in, arch.museums1972@gmail.com, cahry@hry.nic.in, archives@hry.nic.in, artandculturalaffairshry@gmail.com, agottc@hry.nic.in, cavation@hry.nic.in, dlr_consol@hry.nic.in, cooperatives@hry.nic.in, panchayatsdpt@gmail.com, panchayats@hry.nic.in, esa@hry.nic.in, personalstaffdghe@gmail.com, edusecondaryhry@gmail.com, psdse.pkl@gmail.com, padgeepkl@gmail.com, eduprimaryhry@gmail.com, hry_elect@yahoo.com, ravinder@hry.nic.in, sit@hry.nic.in, cei_goh@yahoo.com, employment@hry.nic.in, environment@hry.nic.in, drenv789@gmail.com, hoharyanatax@gmail.com, mail@haryanatax.com, fisheries.haryana@gmail.com, dir.foodhry@gmail.com, foods@hry.nic.in, pccf-hry@nic.in, efhq@rediffmail.com, storebranchfrt@gmail.com, dhs.dghs@hry.nic.in, dga.hry-ayush@nic.in, dgayushhry@gmail.com, haryanafda@gmail.com, esi@hry.nic.in, horticulture@hry.nic.in, hortharyana@gmail.com, hospitalityharyana@gmail.com, hospitalityharyana@yahoo.com, ipcharyana@yahoo.com, industries@hry.nic.in, pr@hry.nic.in, irrigation@hry.nic.in, labourcommissioner@hry.nic.in, hrylabour@gmail.com, lr@hry.nic.in, localaudit@hry.nic.in, dgmer.haryana@gmail.com, me.mines-hry@nic.in, director.hry@gmail.com, drehareda@gmail.com, prchiefeng.hq@gmail.com, police@hry.nic.in, dgphr@bsnl.in, cid@hry.nic.in, homeguards.hgncd-hry@gov.in, office_dg.prisons@hry.nic.in, prison@hry.nic.in, svb@hry.nic.in, svbhqrs@gmail.com, printing@hry.nic.in, prosecution@hry.nic.in, prosecutionharyana@yahoo.in, pwdeicbr@gmail.com, pwd-eic@hry.nic.in, eicwss@gmail.com, drd@hry.nic.in, psdpharyana@gmail.com, dsthry@gmail.com, itisharyana@gmail.com, sje@hry.nic.in, Smallsavings1234@gmail.com, sportshry@gmail.com, supplies@hry.nic.in, dgte.hry@gmail.com, haryanaturism@gmail.com, adtourismharyana@gmail.com, tcparyana7@gmail.com, tcp@gmail.com, transport.haryana@gmail.com, stcharyana@hry.nic.in, treasuries@hry.nic.in, dulbhry@hry.nic.in, dulbhry@gmail.com, aduepkl@gmail.com, aduepkl2@gmail.com, dbcharyana@gmail.com, wcd@hry.nic.in, itcellvs@hry.nic.in, fcr@hry.nic.in

Respected Sir/Madam

Please find the attachment and do the needful.

New Circular.pdf
4633K



[Signature]
L-C
7-7-2020

[Signature] Mer
8-7-2020

A/o. *[Signature]*

[Signature]
8/7

[Signature]
B-2

अति आवश्यक

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा ।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2020

विषय- नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्वोरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 10-06-2020 के संदर्भ में।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and Field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (जनवरी, 2020 से जून, 2020 तक) (मासिक तौर पर) संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर दिनांक 15-07-2020 तक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल ngises2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें ।

अनुबलि

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुबलि

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2020

अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

अनुबलि

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

Name of Department –

Sr. No.	Month/Year	Total number of Government Class IV employees (H.O. & Field Consolidated)	Total amount of Book Transfer per month (under Major Head 2235 of GIS)	Remarks

Note: Please give specific reason, why the deduction is not being done properly.

अति आवश्यक

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा ।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2020

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 10-06-2020 के संदर्भ में।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and Field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (जनवरी, 2020 से जून, 2020 तक) (मासिक तौर पर) संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर दिनांक 15-07-2020 तक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को शीघ्रतः भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें ।

अनुबलि

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार 1/4

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुबलि

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार 1/4

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0
अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2020
दिनांक, चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

अनुबलि

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0